

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2023

विषय : उ०प्र० इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के बिन्दु 3.1 (8) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 01 मे०वा० व उससे अधिक की अनुबन्ध संचयी मांग वाले चार्जिंग/स्वैपिंग स्टेशन अथवा स्वैपिंग कियोस्क पर ओपन ऐक्सेस की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया औद्योगिक विभाग अनुभाग-6 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-41/2022/2596/77-6-2022-1(एम)/2022, दिनांक 14.10.2022 उ०प्र० इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु 3.1 (8) में यह प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा 01 मे०वा० व उससे अधिक की अनुबन्ध संचयी मांग वाले चार्जिंग/स्वैपिंग स्टेशन अथवा स्वैपिंग कियोस्क पर ओपन ऐक्सेस की अनुमति प्रदान की जायेगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नीति के बिन्दु संख्या-3.1 (8) के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय


(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं तदैव दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग गोमतीनगर, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-6 उ०प्र० शासन।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।